न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय म.प्र. राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प भोपाल

प्रकरण क्र. .... निग -3305-पीबीआर/16

त्रिलोकसिंह राठौर आ. स्व. श्री तुलसीराम जी राठौर आयु 76 वर्ष

निवासी मेन रोड छावनी सीहोर———————————————निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1— विजय सिंह आ. श्री ताराचन्द राठौर

निवासी मेन रोड़ छावनी, सीहोर

तहसील व जिला सीहोर म.प्र.

2— अजय सिंह आ. श्री दीपसिंह राठौर

निवासी म.न.58 नारियल खेड़ा भोपाल

जिला—भोपाल म.प्र. ———————————————प्रतिनिगरानीकर्ता

निगरानी अर्न्तगत धारा 50 म.प्र. भू.रा.सं. 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 09—06—2016 जो अधिनस्थ नजूल अधिकारी सीहोर द्वारा प्रकरण क्र. 196 / अ—6 / 15—16 में पारित किया गया ।

श्रीमान जी,

निगरानीकर्ता आलोच्य आदेश से दुखी एवं प्रभावित होकर निम्न तथ्य एवं आधारों पर निगरानी प्रस्तुत करता है ।

तथ्य

1— यह कि निगरानी कर्ता के स्व. पिता श्री तुलसीराम जी राठौर आ. श्री बसंतराम राठौर के स्वत्व अधिपत्य में एक मकान मेन रोड छावनी सीहोर में स्थित था जो नजूल अभिलेंख में सीट क्र.—99 भू. ख. क्र—25 क्षेत्रफल 77 वर्गमीटर के रूप में दर्ज है ।

2— यह कि स्व. तुलसीराम जी के स्वर्गवास के पश्चात उक्त भवन उनके वैध अधिकारी स्व. श्रीमति रामाबाई पत्नि एवं पुत्रगण ताराचन्द राठौर, त्रिलोकसिंह राठौर एवं दीपसिंह राठौर को उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ ।

3— यह कि स्व. माताजी द्वारा उक्त मकान का बंटवारा किये जाने पर उक्त भवन त्रिलोकचन्द्र एवं ताराचन्द जी को आधा आधा हिस्से में दिया गया तथा भाई दीपसिंह जी द्वारा माताजी की इच्छा का सम्मान करते हुये स्वेच्छा से अपना हिस्सा इस भवन में छोड दिया गया था । तभी से उक्त मकान दोनो भाई ताराचन्द एवं त्रिलोकसिंह के आधे—आधे भाग में स्वत्व अधिपत्य में स्थित है । दोनो भाई अपने—अपने हिस्से में परिवार सहित निवास करते हुये । उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निग0 3305–दो/2016 जिला सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03–01–2017	आवेदक अभिभाषक श्री व्ही0के0 श्रीवास्तव एवं अनावेदक अभिभाषक श्री एस0के0 गुरोदिया द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण के साथ उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया जिससे प्रकट होता है कि नामांतरण प्रकरण के विरूद्ध आवेदक द्वारा व्यवंहारवाद प्रस्तुत किया गया है जिसमें चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 सीहोर ने प्रकरण कमांक 7268/16 की आदेश पत्रिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि व्यवहार न्यायालय द्वारा प्रकरण में किसी प्रकार के स्थगन अथवा यथास्थिति बनाये रखने के आदेश नहीं दिये गये हैं। इसी कारण नजूल तहसीलदार ने प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। चूंकि व्यवहार न्यायालय से स्थगन नहीं है ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा की जा रही कार्यवाही को अवैधानिक नहीं कहा जा सकता है। दर्शित परिस्थितियों में नजूल तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 09–6–16 में कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता प्रकट नहीं होती है। फलस्वरूप निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0एस0 अली) सदस्य	